

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर

पत्रांक : एस0एस0ए0 / पी0एफ0एम0एस0 / 6066

/ 2023-24 दिनांक 8.2. 2024

कार्यालय आदेश

समग्र शिक्षा अभियान, जिला परियोजना कार्यालय, बलरामपुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि को विद्यालय प्रबन्ध समिति के ZBSA खातों में प्रेषित/लिमिट निर्गत किये जाने का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	विवरण	विद्यालय की संख्या	स्कीम कोड	धनराशि
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट हेतु धनराशि का प्रेषण	1803	[F.01.18]Composite School Grant (Elementary) [UP]	41745000.00
			Total	41745000.00

अतः उपरोक्त मद से भुगतान हेतु कुल रु0 41745000.00 की धनराशि सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में अन्तरण/लिमिट निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आहरण वितरण अधिकारी उक्त स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित के खाते में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से अन्तरण/लिमिट निर्गत करना सुनिश्चित करें।

(श्रवण कुमार सिंह)

वित्त एवं लेखाधिकारी,
बलरामपुर

(कल्पना देवी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर

पृ०सं०:एस0एस0ए0 / पी0एफ0एम0एस0 / 6066

/ 2023-24 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बडौदा, बलरामपुर।
2. कार्यालय प्रति।

वित्त एवं लेखाधिकारी,
बलरामपुर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलरामपुर

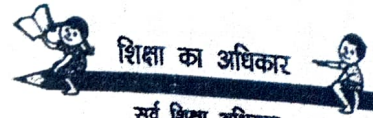


महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



विपुल भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्राण्ट/ /2023-24

दिनांक: 01 जनवरी, 2024

विषय: वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्राण्ट/10926/2023-24 दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त सन्दर्भ में संलग्न विवरण अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 द्वारा दिये गये विस्तृत निर्देशों के क्रम में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि तीन दिन के अन्दर विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित करते हुए अनुमन्य कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करायी जाये।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।

पृ0सं0: नि0का0/स0शि0/क0स्कूल ग्रा0/13191 /2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश।
6. वैयक्तिक सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।